रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 1974/आश्विन 1, 1896
No. 235] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 1974/ASVINA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Secretariat Library
8 OCT 1974
Govt. of India

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September 1974

G.S.R. 399(E)/IDRA/30/1/74/16.—Whereas certain draft rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, was published as required by sub-section (i) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 971-972 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 7th May, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. G.S.R. 216(E)/IDRA/30/1/74/7, dated the 7th May 1974, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 14th May, 1974;

And whereas objections and suggestions received by the Central Government on the said draft rules have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely;

1. (1) These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (*Sixth Amendment*) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1*st October*, 1974.

2. In sub-rule (3) of rule 7 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, for the abbreviation and figures "Rs. 50", the abbreviation and figures "Rs. 500", shall be substituted.

[No. 14(2)/L.P./74]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1974

सा० का० नि० 399 (अ) आई० डी० आर० ए०/30/1/74/16.—यतः औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 216 (अ)/आई डी आर ए /30/1/74/7, तारीख 7 मई, 1974 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 7 मई, 1974 के पृष्ठ 971—972 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र 14 मई, 1974 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ;

1. (1) इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (छठा संशोधन) नियम, 1974 है ।

(2) ये नियम 1 अक्तूबर 1974 को प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम के नियम 7 के उपनियम (3) में, "50 रु०" अंकों और संक्षेपाक्षर के स्थान पर "500 रु०" अंक और संक्षेपाक्षर रखे जायेंगे ।

[सं० 14 (2)/एल०पी०/74]

एम० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974